न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

घासीराम पुत्र भोलूराम बावरी
निवासी गांगवा तह. परबतसर

1. भीमाराम पुत्र भोलूराम बावरी
2. गोरधन पुत्र भोलूराम बावरी
3. परसाराम पुत्र भोलूराम बावरी
   निवासी गांगवा तह. परबतसर
4. तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमां नम्बर :– 53/2019 निर्णय दिनांक :–

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 651 रकबा 081 हैक्टयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 081 हैक्टयर, 645 रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.79 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 233 रकबा 0.77 हैक्टयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 1. 17 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 236 रकबा 1.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.54 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 3 के पिता के द्वारा अर्जित भूमि हैं प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 3 ने मौके पर भूमि का बंटवारा पूर्व कर लिया था जिसकी पारिवारिक बंटवारा लिखत दिनांक 30.07.1995 को तैयार की गई जमीनो का बंटवारा भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा लिखित के अनुसार कर लिया हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 644, 645, 651, 652 की जमीन प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 के हक में बराबर बराबर रखी गई हैं जो लगभग 7–7 बीघा हैं। इस भूमि में अप्रार्थी 3 का नाम हटाया जाना हैं तथा खसरा नम्बर 233, 244 की जमीन अप्रार्थी 3 के हक हिस्से में रखी गई हैं जिसमें से अप्रार्थी 2 का नाम हटाया जाना हैं खसरा नम्बर 236, 245 की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं हैं उक्त भूमि अप्रार्थी 3 की निजी खातेदारी की जमीन हैं उक्त भूमि में अन्य सह खातेदारो के विरूद्ध प्रार्थी कोई रिलिफ नहीं चाहता हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल नहीं करे एवं नुमाईशी नाम के आधार पर भूमि का अन्तरण नहीं करे इस हेतु प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा व खातेदारी घोषणा व बंटवारे का वाद पेश किया हैं वाद के निर्णय तक खसरा नम्बर 644, 645 की भूमि का अप्रार्थीगण 2 व 3 किसी प्रकार का बैचान बक्सीस, रहन, दान व किसी प्रकार का अन्तरण नहीं करे इस हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.07.2019 को अप्रार्थी 2 की ओर से अधिवक्ता विजेन्द्रसिंह ने वकालतनामा

Scanned by CamScanner

पेश कर जवाब हेतु समय चाह तथा अप्रार्थी 4 का नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 31.07.2019 को अप्रार्थी 1 व 3 के नोटिस रजिस्टर्ड डाक की तामील सुदा एडी रसीद प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, दिनांक 07.01.2020 को अप्रार्थी 2 एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता को बार बार अवाज लगाये जाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

3. प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक था। जिनके सम्बन्ध में विस्तुत विवेचन इस प्रकार से हैं कि :–

(अ) प्रथम दृष्टया मामला :–

इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 651 रकबा 081 हैक्टयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 081 हैक्टयर, 645 रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.79 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 233 रकबा 0.77 हैक्टयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 1.17 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 236 रकबा 1.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.54 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 3 के पिता द्वारा अर्जित भूमि हैं प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 3 संगे भाई हैं जिन्होने अपने पिता की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया हैं जिसके अनुसार विवादित आराजीयत के खसरा नम्बर 644, 645, 651, 652 की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 के हिस्से में रखी गई हैं तथा खसरा नम्बर 233 व 244 की भूमि अप्रार्थी 3 के हिस्से में रखी गई हैं जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 3 प्रत्येक के लगभग 7 बीघा जमीन हिस्से व कब्जे काश्त में आ रही है, लेकिन खातेदारी में कब्जे काश्त से भिन्न हैं तथा खसरा नम्बर 236 व 245 के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना बताया हैं क्योंकि यह भूमि अप्रार्थी 3 की निजी खातेदारी की होना बताया हैं तथा पारिवारिक बंटवारे के अनुसार खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन हैं तब तक भूमि खुर्द – बुर्द नहीं हो इस लिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। लेकिन प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं जिससे उक्त भूमि प्रार्थी के पिता की अर्जित होना साबित होता हो, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के अनुसार ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 645 अप्रार्थी 2 गोरधन पुत्र भोलूराम के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, खसरा नम्बर 233, 244 अप्रार्थी 2 का 121/388, व अप्रार्थी 3 का 121/388 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं, इसी प्रकार खसरा नम्बर 652 रकबा 0.81 हैक्क्टयर भूमि अप्रार्थी 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.81 हैक्टयर प्रार्थी के नाम दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 236, 245, 644 अप्रार्थी 3 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं, इस प्रकार उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में नहीं होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अलग अलग खातेदारी में दर्ज हैं जिसके खाता संख्या व होल्डिंग अलग अलग कायम हैं, उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रही हो इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। अप्रार्थी सेपरेट अलग अलग खातेदार काश्तकार

Scanned by CamScanner

दर्ज हैं, कानूनन रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन

इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता ने जाहिर किया हैं कि ग्राम गागंवा के खसरा नम्बर 644, 645, 651, 652 प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 के हक हिस्से व कब्जे काश्त में हैं इसमें अप्रार्थी 3 को कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं हैं, जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 645 अप्रार्थी 2 की खातेदारी में हैं, 652 रकबा 0.81 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 1 की खातेदारी में दर्ज हैं, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.81 हैक्टयर प्रार्थी स्वंय की खातेदारी में दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 644 रकबा 0.79 हैक्टयर अप्रार्थी 3 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे खसरा नम्बर 644, 645, 651, 652 की भूमि पर केवल प्रार्थी व अप्रार्थी 1 , 2 की कब्जा काश्त साबित होता हो। उपरोक्त खसरान में प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 3 की लगभग बराबर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त दर्ज अलग अलग खातेदारी से किस प्रकार प्रार्थी को असुविधा हो रही हैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया हैं न ही कोई साक्ष्य पेश की हैं जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में सिद्ध नहीं होता है।

(स) अपूर्णीय क्षति

इस बिन्दु को भी प्रार्थी को ही सिद्ध करना था लेकिन उपर विस्तृत विवचेन के अनुसार उक्त विवादित सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि होना साबित नहीं होता हैं प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रत्येक की अलग अलग लगभग बराबर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं, न ही प्रार्थी ने कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश किया है। सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी खसरा नम्बर 651 रकबा 0.81 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज हैं अन्य सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी की खातेदारी सेपरेट हैं जिसमें अन्य कोई सह खातेदार नहीं है। जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना नहीं है। अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों बिन्दु सिद्ध करने में असफल रहा हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असफल रहने से प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं यह आदेश आज दिनांक 6/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मुंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

Scanned by CamScanner